भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

****

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 211

जिसका उत्तर दिनांक 02 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (एनटीपीसी)

211. श्री एंटो एन्टोनीः
एडवोकेट अदूर प्रकाशः
प्रो. सौगत रायः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के हिमालयी क्षेत्र में चल रही विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जोशीमठ के धंसने के संबंध में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (एनटीपीसी) की टनल परियोजनाओं के प्रभाव के बारे में कोई जांच की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने यह नोटिस किया है/सुनिश्चित किया है कि एनटीपीसी द्वारा जल विद्युत संयंत्र /परियोजनाओं के निर्माण के कारण उत्तराखंड में जोशीमठ और आस-पास के क्षेत्रों में जमीन धंस गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त संयंत्र की स्थापना से पहले कोई पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन/अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ऐसी जल विद्युत परियोजनाओं के चल रहे निर्माण कार्य को रोकने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या एनटीपीसी ने पहले इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं/अन्य कारणों से ग्रामीणों को कभी कोई मुआवज़ा दिया है; और

(छ) और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : वर्तमान में, देश के विभिन्न राज्यों में हिमालयी क्षेत्र में कुल 11,137.50 मेगावाट संस्थापित क्षमता की 30 बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं (एचईपीज) (25 मेगावाट संस्थापित क्षमता से अधिक) विकसित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं में से, कुल 10,381.5 मेगावाट की 23 जल विद्युत परियोजनाएं सक्रिय रूप से निर्माणाधीन हैं और कुल 756 मेगावाट की 7 एचईपीज का काम रुका हुआ है। इसके साथ-साथ, देश के विभिन्न राज्यों में हिमालयी क्षेत्र में 22,982 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता की 87 जल विद्युत परियोजनाएं हैं, जो प्रचालनरत हैं।

(ख) और (ग) : जोशीमठ में भूमि धंसने का मामला काफी पुराना है। इसे काफी पहले वर्ष 1976 में महसूस किया गया था। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ध्यान दिया गया था और उन्होंने जोशीमठ में भूमि की

अस्थिरता के कारणों की जांच करने के लिए श्री एम.सी. मिश्रा, आयुक्त, गढ़वाल की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। एम.सी. मिश्रा समिति की टिप्पणियां निम्नानुसार हैं:

- जोशीमठ मूल चट्टानों पर स्थित नहीं है। यह पतली अभ्रकीय रेतीली तथा मिट्टी की सामग्री के अव्यवस्थित मैट्रिक्स में बड़े अस्थिर बोल्डरों के ऋतुक्षरित, भू-स्खलन निर्मित ढेर पर स्थित है। ये चट्टानें क्रिस्टलीय हैं जो परतदार शैलीय एवं क्वार्ट्ज पत्थर की हैं।
- जोशीमठ एक प्राचीन भू-स्खलन निर्मित क्षेत्र पर स्थित है। यह भू-स्खलन निर्मित क्षेत्र पूर्व में परसारी के निकट बड़े नाले तक, पश्चिम में उत्तर-पश्चिम टीले और गौख के निकट नाले तक, उत्तर में नदी-तल तक फैला हुआ है जहां दक्षिणी किनारे पर कुछ स्थायी फसलें देखी गई हैं, जबकि उत्तरी किनारे पर ठोस मूल मिट्टी की चट्टानें (हाथी पर्वत) स्थित है और दक्षिण में यह औली से आगे तक है, जो ऊंचे पहाड़ी टीले तक फैला हुआ है जिससे जलाशय (वाटर शेड) का निर्माण हुआ है।
- धंसने/दरारों का संभावित कारण पहाड़ बहना, बहने का स्वाभाविक कोण, रिसाव तथा मिट्टी के कटाव के कारण खेती संबंधी क्षेत्र हो सकता है।

वर्ष 2006 में तपोवन विष्णुगाड जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य आरंभ हुआ था। जोशीमठ में धंसने का क्षेत्र परियोजना संघटकों से 15 किमी ऊपर की ओर है। सुरंग जोशीमठ नगर की बाहरी सीमा से लगभग 1.1 किमी की क्षैतिज दूरी पर और उर्ध्वाधर रूप से भू-स्तर से लगभग 1.1 किमी नीचे है। भूमि की ऊपरी सतह पर सुरंग की सीध के आसपास भूमि धंसने का कोई चिह्न नहीं है।

जोशीमठ नगर में भूमि धंसने की सूचनाओं के बाद राज्य प्राधिकारियों ने जुलाई, 2022 में एक बहु-संस्थानिक समिति का गठन किया था। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान (डबल्यूआईएचजी), सीएसआईआर-सीबीआरआई, आईआईटी रुड़की, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) तथा उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) के विशेषज्ञ उस टीम का हिस्सा थे जिसने चमोली जिले के जोशीमठ नगर के क्षेत्र में हो रहे धंसने के कारणों की पहचान करने और उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए भूवैज्ञानिक और भू-तकनीकी जांच की। समिति की रिपोर्ट में जोशीमठ में एनटीपीसी तपोवन विष्णुगाड जलविद्युत परियोजना के कारण भूमि धंसने का कोई उल्लेख नहीं है।

(घ) : तपोवन विष्णुगाड जल विद्युत परियोजना, वर्ष 2006 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) तथा नेशनल कॉसिल ऑफ सीज्मिक डिजाइन पैरामीटर्स (एनसीएसडीपी) द्वारा पर्यावरणीय प्रभाव, भूवैज्ञानिक अध्ययनों, जल वैज्ञानिक अध्ययनों तथा भूकंपीय अध्ययनों के लिए विस्तृत जांच के बाद आरंभ की गई थी। तकनीकी आर्थिक स्वीकृति केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा दी गई थी। परियोजना का वास्तविक निर्माण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) से पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) प्राप्त करने के बाद ही आरंभ हुआ।

(ङ) : जोशीमठ नगर में भूमि धंसने की सूचनाओं के बाद, एडीएम चमौली ने दिनांक 05.01.2023 को एनटीपीसी तपोवन परियोजना में अगले आदेशों तक सभी निर्माण गतिविधियां रोकने का आदेश जारी किया है। तदनुसार, एनटीपीसी तपोवन परियोजना में दिनांक 05.01.2023 से सभी निर्माण गतिविधियां रोक दी गई हैं।

(च) और (छ) : एनटीपीसी ने किसी प्राकृतिक आपदाओं अथवा किन्हीं अन्य कारणों से पूर्व में ग्रामीणों को कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी है।

****